

हिंदी साहित्य एवं मानवीय मूल्य

संपादक

डॉ. गणेशचंद्र शिंदे
डॉ. संदीप एस. पाईकराव
डॉ. साईनाथ ग. शाहू



Principal
Tuljaram Chaturchand College
Baramati

भाईचारे से भरे क्षेत्र में व्यदलना है। अतः समाज में मानवीय मूल्यों के दीज अंकुरित करने की पुनरुच्च आवश्यकता निर्माण हो गई है। विशेष रूप से युवाओं में सजगता निर्माण करना अनिवार्य बनता जा रहा है। एक स्वस्थ समाज तथा स्वस्थ जीवन जीने के लिए जीवन मूल्यों की निर्माण आवश्यकता है। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राचीन काल से लेकर आज तक निर्माण किया गया साहित्य तथा साहित्य की विभिन्न विद्याओं के द्वारा समाज में मानवीय मूल्यों का निरंतर पोषण किया गया है।

मूल्य विषयटन वर्तमान समय की सद्यसे वडी आसादी है। इस आसादी से उदरने के लिए मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा एकमात्र उपाय है। प्रस्तुत पुस्तक का निर्माण इस दिशा में एक लघु प्रयास है। प्रस्तुत पुस्तक सुविज्ञ प्रबुद्ध तथा जिज्ञासु पाठकों को तमर्पित है। इस आशा सहित कि मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा में हमारे इस लघु प्रयास की यात्रा में हमसफर बनें। हमें अलंत प्रसन्नता हो रही है कि इस पुस्तक के निर्माण में विभिन्न विभिन्न राज्यों के विद्यार्थी ने अपनी भावना तथा विद्यार्थी को प्रकट कर योगदान दिया है। इस ग्रंथ की खास वात यह है कि योगदान कर्ताओं द्वारा शीर्षक पर नामायामी ट्रूटिकोण से चर्चा की गई है। हम इस ग्रंथ के समर्त लेखकों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं जिनके परिश्रम एवं ज्ञान राशि के फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रंथ साकार हो सका।

इस ग्रंथ के निर्माण में हमारे प्रंगणा संत भूतपूर्व मुख्यमंत्री महाराज्ड राज्य तथा श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष मानवीय श्री अशोकराव जी घट्काण, उपाध्यक्ष सां. अमितालाई घट्काण, भूतपूर्व शिक्षा राज्य मंत्री तथा शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी के मानवीय तथ्यव आदरणीय डॉ. पी. सावंत जी, सह सचिव आदरणीय उदयरावजी नियालकर, कोपाध्यक्ष आदरणीय डॉ. रायसाहेब शेंदारकर तथा कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय नरेंद्र दादा घट्काण आदि के प्रति हम कृतज्ञ हैं।

हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि परिकल्पना प्रकाशन नड़ दिल्ली ने हमारे चिंतन को सामने लाया है। इसके लिए प्रकाशक डॉ. शिवानंद तिवारी जी का धन्यवाद जिनके परिश्रम से ही इस ग्रंथ का निर्माण संभव हो पाया। साथ ही हम अपने उन समस्त शुभचिंतकों एवं सहयोगियों के प्रति कृतज्ञ हैं जिन्होंने इस पुस्तक के निर्माण में प्रत्यक्ष अद्या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया है।

-संपादक

अनुक्रम

संपादकीय	5
1. साहित्य और मानवीय मूल्य	15
-प्रो. डॉ. प्रतिभा जी. येरेकार	
2. श्री गुरु ग्रंथ साहित्य जी में निहित मानव-मूल्य	19
-डॉ. परविंदरकौर महाजन कोल्हापूरे	
3. मृदुला सिंह के कथा साहित्य में मानव मूल्य	24
-डॉ. मनीषा शर्मा	
4. साहित्य एवं मानवीय मूल्य	30
-डॉ. सुभाष क्षीरसागर	
5. मूल्य, जीवन मूल्य और साहित्य	34
-प्रा. डॉ. मनोहर गगाधरराव चप्ळे	
6. साहित्य में मानवीय मूल्य	38
-डॉ. शेख शहेनाज बेगम अहेमद	
7. हिंदी साहित्य में मानवीय मूल्य	45
-डॉ. शेखर बुंगरवार	
8. मानवीय मूल्य नैतिकता : उत्पत्ति और विकास	51
-डॉ. सतरा घोड़ान	
9. साहित्य एवं मानवीय मूल्य	54
-डॉ. किशोरसिंह सोलंकी	
10. पत्रकारिता और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा	57
-डॉ. वेंकेवसवेश्वर नागोराव	
11. भवित साहित्य तथा मानवीय मूल्य	61
-डॉ. अमर आनंद आलदे	
12. भक्तिकालीन साहित्य में मानवीय मूल्य	63
-अर्जुन कुमार	
13. आंबेडकरादी कविताओं में सैवेधानिक मानवीय मूल्य	69
-डॉ. राघव परसराम रामजी	
14. समकालीन कवि धूमिल के काव्य में मानवीय मूल्य	75
-डॉ. मुकुंद कवडे	



79. उदय प्रकाश की कहानियों में अधिकृत मानवीय मूल्य	366	95. समकालीन हिंदी कविता और मूल्य वोध की परिकल्पना	408
—डॉ. प्रकाश भगवानराव शिंदे		—डॉ. सुमित धी. धी.	
80. आपूर्णिक कविता में मूल्यबोध	371	96. समकालीन यात्रा-साहित्य में मानवीय मूल्य	412
—डॉ. प्रणिता लक्ष्मणराव पाटील		—प्रो. वालेश्वर राम	
81. प्रेमचंद के साहित्य में मानवीय मूल्य	376	97. स्फूर्तिगुन नाटक में सामाजिक घेतना	414
—डॉ. दीपक विनायक याचार		—प्रा. डॉ. पी. एम. भुजरे	
82. मन्मूर्ख धंडारी के उपन्यासों में मानवीय मूल्य	381	98. मानवीय समता का विधायक सत्र साहित्य	418
—डॉ. शरद शेषराव कटम		—प्रा. डॉ. गहन पुडिलिकराव यायमार्त	
83. गांधीजी की पुस्तक 'हिंद स्वराज' में मानवीय मूल्य	388	99. हिंदू आर मगरां दग्निन इंडिया में मानवीय मूल्य	424
—डॉ. राजिया शहेनाज शेष अद्यत्ता		—प्रा. डॉ. प्रकाश सरासिंह सुदर्शनी	
84. साहित्य में मानवीय मूल्यबोध	393	100. मानवीय मूल्यों का प्रतीक : मह-केसरी दुर्गादास राठोड	424
—प्रो. डॉ. लक्ष्मण तुळशीराम काळे		—डॉ. गजानन सुखदेव चड्हाण डॉ. साईनाथ ग. शहू	
85. भारतीय संविधान तथा मूल्य	398	101. कवीर के काव्य में नेतृत्व मूल्य	429
—डॉ. प्रतिभा आनंदराव जावले		—प्रा. डॉ. अभिमन्तु नरसिंहराव पाटील	
86. संविधान तथा मानवीय मूल्य	403	102. सत्र कवीर और तुकाराम के साहित्य में मानवीय मूल्य	434
—प्रा. श्री. डी. कापाबार/डॉ. माधव शंकर		—डॉ. नवनाथ गांडिकर	
87. मध्यकालीन सत्र काव्य में मानवीय मूल्य	405	103. मंत्रिन भगत की कहानियों में मानवीय मूल्य	439
—प्रा. डॉ. भरतेशराव संजय गणपती		—ए. मार्गीता मसो?	
88. गीतांजलि श्री के उपन्यासों में चित्रित नारी मूल्य	409	104. सम्बानोन उपन्यासों में मानव-मूल्य	443
—प्रा. विद्या बाबू राव लाडे		—डॉ. गंडेंद कुमार	
89. हिंदी कहानियों में मानवीय मूल्य	412	105. मानवीय मूल्यों के संवाहक : सत्र रहोम	457
—डॉ. लक्ष्मारे छांडे		—प्रा. डॉ. कदम्ब भगवान रामकिशन	
90. किन्नर-जीवन पर आधारित कहानियों में मानवीय मूल्य	415	106. 'सुप को अनिम किरण से सुप' को पहली फिरण तक' में मानव मूल्य	461
—उषाकृष्ण के परमार		—डॉ. मंद्या टाफुर	
91. भक्ति साहित्य तथा मानवीय मूल्य	420	107. मा के काव्य में जीवन मूल्य	465
—डॉ. रत्नमाला धारबा धुले		—डॉ. वसन पृजाजी गांडे	
92. चर्चाय मूल्य और भूमंडलीकरण के संदर्भ में गांधी	424	108. भक्तिकालीन साहित्य में मानवीय मूल्य	501
—डॉ. सविन मदन जाधव		—प्रा. सुषण्ण गणाधर सुखदी	
93. देवीराजस के साहित्य में मानवीय मूल्य	428	109. सत्र कवीर के काव्य में मानवीय मूल्य	505
—डॉ. पर्मन जलाल खान		—डॉ. विनोद कुमार	
94. रामराज्य की मंकल्पना और मानवीय मूल्य	433	110. जीवन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में डॉ. रामकुमार यर्मा की एकाकियाँ	509
—प्रा. डॉ. संगता लोमटे		—डॉ. सुजितसिंह शि. परिहार	



भारतीय संविधान तथा मूल्य

डॉ. प्रतिभा आनंदराव जायके
हिंदी विभाग

तुलजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती

भारत एक धार्मिक सांस्कृतिक और परम्परागत देश है स इस देश में अलग जाती धर्म वंश के लोग रहते हैं। विविधताओं में एकता के सूत्र में इसे बांधा है। यह सिर्फ संविधान के कारण संभव हो गया है। राष्ट्रनिर्माण के अग्रदूत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर ने हमारी भूमि के लिए संविधान में वास्तविक मूल्य और महत्व को चिह्नित किया है। यह वह संरचना है, जिस पर एक राष्ट्र खड़ा होता है और बढ़ता है। यह वह दांचा है जो लोगों और सरकार को एक साथ बांधता है। डॉ. आंबेडकर के विचार से, "संविधान केवल वर्कीतों का दस्तावेज़ नहीं है, यह जीवन का बाहन है और इसकी भावना हमेशा युग की भावना है।" मानवीय अधिकार का दस्तावेज़ ही संविधान है। 'लोगों' को भारतीय संविधान के मूल रूप में रखा गया है, क्योंकि प्रस्तावना ही, "हम भारत के लोगों से शुरू होती है।" भारत का संविधान एक आदर्श संविधान से पहचाना जाता है। हमारे इस संविधान में निहित कुछ मूल्य हैं जो इसे वास्तव में अद्वितीय बनाते हैं। आज संविधान में निहित मूल्यों को समझना और उनका सम्मान करना आवश्यक है।

प्रत्येक देश का संविधान देश को संचालित करने के लिए मूल्य आधारित व्यवस्था बनाता है। भारतीय संविधान की विशेषता का अध्ययन करने के बाद अध्ययन क्रम में मौलिक अधिकारों और मौलिक कर्तव्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से मौलिक अधिकार और कितने मौलिक कर्तव्य हैं यह जानना भी जरूरी है। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों की व्यवस्था करने के पीछे संविधान निर्भाताओं की धारणा थी कि स्वतंत्र देश के नागरिकों के रूप में भारतवासी अपना जीवनयापन कर सकें। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि मूलअधिकार के उल्लंघन होने पर अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जाना भी मूल अधिकार है। इसीलिए डॉ. आंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है।

संविधान द्वारा मूल रूप से सात मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। समानता, अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संविधानिक उपचारों का अधिकार, "अधिकार सामाजिक जीवन की परिस्थितियाँ हैं जिनके अभाव में कोई

व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता।" मनुष्य के जीवनयापन करने समग्र मूल्यों का समझना भी जरूरी है।

मूल्य समाज द्वारा स्वीकृति होते हैं, मूल्य शब्द से तालिका नि. भौतिक वस्तु अथवा मानसिक अवस्था के उस गुण से हैं जिनके द्वारा मनुष्य के उद्देश्य अध्ययन लक्ष्य की पूर्ति होती है यह मूल्यों का व्यक्ति आचरण, व्यक्तित्व के लिए पर स्पष्ट प्रभाव पड़ता है। मूल्य वह है जो मानव इच्छा को पूरा करते हैं। मानव संस्कृति का जन्म ही संविधान की विशेषताएँ हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना "सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए कि सब में व्यक्ति गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता बन्धुता।" आदि मूल्यों के प्रतिबद्धता व्यक्ति की गई है। मनुष्य जीवनयापन करते समय इन मूल्यों के व्यवहार और कर्तव्य में दक्ष रहना ही देश के लिए हितकारक होगाय संविधान जीवन के सिखाता है। इसकी प्रस्तावना की सबसे महत्वपूर्ण बात देश के समस्त नागरिकों के लिए न्याय एवं समानता सुनिश्चित किए जाने का आशयसन है, क्योंकि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए समानता ही नहीं बरन न्याय की सुनिश्चितता भी आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए ना केवल धर्म, लिंग जाति, इत्यादि के आधार पर राष्ट्र द्वारा भेदभाव का निषेध करते हुए प्रतिष्ठा और अवसर की समता का उपलब्ध किया गया, बल्कि इसके साध-साध लिंगों और कमज़ोर वर्ग के लोगों का उद्धान करने के लिए विशेष प्रावधान करने की उपलब्ध भी किया गया, "सामाजिक न्याय में धर्म और अवसर, नस्ल, धर्म, लिंग और जातिया अन्य किसी भी असमानता सहित सभी प्रकार की असमानताओं का उन्मूलन अपेक्षित है।" इसी बात को ध्यान में रखते हुए कार्य भी मानवीय स्थितियाँ, मातृत्व सुविधा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता एवं उद्योगों में बालश्रम का निवारण, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, पिछड़ी जातियों का शैक्षिक और आर्थिक उत्थान, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध सहित सामाजिक न्याय से सब्वित कृपान्याकारों का प्रवृत्त करने का निर्देश संविधान में आलमनिहित है। आर्थिक न्याय के विचारों में समान कार्य के लिए समान वेतन का भाव निहित है। राजनीतिक न्याय से भेदभाव रहित राजनीतिक कार्यक्रम अभिप्रेत है। वयस्कमतायिकार, "संप्रदायिक आरक्षण के उन्मूलन और नस्ल, जाति, लिंग, निवास, जनस्थान, धर्म, भेदभाव के बिना राज्योंके अधीन नियोजन प्राप्त करने के अधिकार को अंगीकार कर इसे संविधान में सुनिश्चित किया गया है।" भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। इसमें अनेक प्रकार के संविधानिक मूल्य हैं, उनमें से प्रमुख मूल्यों में प्रमुख लोकतंत्र, समाजवाद और समानता प्रमुख मूल्य हैं।

संविधान की प्रस्तावना में एक और मूल्य 'बंधुत्व' है। जो भारत की जनता के द्वारा आपसी भाईयारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बंधुत्व के



भारत में भारतीय एक बहुजन समाज में विभाजित हो जाता है। भारत की प्रतिष्ठा में लिखा है सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं।

संविधान में प्रमुखता लोकतंत्र, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और नागरिकों के अधिकारों के कर्तव्यों से संबंधित मूल्यों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

1. स्वतंत्रता : स्वतंत्रता एक ऐसी अवस्था को स्थापित करती है। जिससे मनुष्य का पूर्ण विकास हो सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकों को समान रूप से स्वतंत्रता दी गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास धर्म और उपार्जन की स्वाधीनता दी गई है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रताओं का विस्तृत वर्णन किया गया है।

2. नुच्छेद (19-22) में स्वतंत्रता के अधिकार की व्यापक व्याख्या की गई है। स्वतंत्रता का यह मूल्य मनुष्य के लिए महत्वपूर्ण है।

3. न्याय : सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय स्थापित करना ही हमारे संविधान का उद्देश्य है। सामाजिक न्याय से हमारा तात्पर्य है कि समाज में असमानताओं को दूर किया जाए तथा सामाजिक समानता स्थापित की जाए, “अनुच्छेद 226, 300 तक 325, 326 के आदि में मानव अधिकारों के संरक्षण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 303 तथा अनुच्छेद 327 में कानून के संदर्भ में नियम बनाए हैं। राज्य के सभी नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही ऐसी सामाजिक व्यवस्था का यथासंभव रक्षण संरक्षण करेगा, जिस में राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं में नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले।”

4. समानता : भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ है कि संविधान की स्थापना एक सरकार के रूप में होती है। जिसे चुनाव के माध्यम से लोगों द्वारा निवाचित होकर अधिकार प्राप्त होते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जिसका कार्य है कि सर्वोच्च लोगों के हाथ में है। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र के लिए प्रस्तावना के रूप में प्रयोग किया जाता है।

5. समानता : समानता का अभिप्राय समाज में किसी वर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार या भेदभाव समाप्त करने से है। संविधान की प्रस्तावना में देश के सभी लोगों के लिए स्थिति और अवसरों की समानता प्रदान करती है। संविधान देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता प्रदान करने का प्रयास करता है अनुच्छेद 14 के अनुसार, “राज्य भारत के राज्यक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से विचित नहीं करेगा।” विधि के समान संरक्षण से अर्थ है, समाज लोगों के साथ समान व्यवहार होगा, “दूसरे शब्दों में विधि द्वारा आदिदायित्व के संबंध में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार का अधिकार है।”

6. धर्मनिरपेक्षता : भारत देश अनेक धर्म तथा जाति के लोगों से बना है। एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में यह पहचाना जाता है। धर्मनिरपेक्षता का आदर्श धर्म को

व्याख्या के आनंदिक विश्वास की वस्तु मानता है। संविधान में यह व्यवस्था कि गई है, कि मानवाधिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपर्युक्तों के अधीन रहने हुए सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता से किसी भी धर्म का पालन करने, प्रश्न एवं प्रसार करने का अधिकार होगा। डॉ. राधाकृष्णन ने भारतीय राज्य के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप पर प्रकाश डालते हुए कहा कि, “भारतीय राज्यनेता किसी धर्म द्वारा नियन्त्रित होगा और ना किसी धर्म विशेष से संबंधित होगा। हम किसी एक धर्म को दीरेता का स्थान या अद्वितीय स्तर प्रदान करना नहीं चाहते। धर्मों को समान भाव का दृष्टिकोण संविधान ने दिया है। संविधान के अधिकारों का पालन करना और उसके आदर्शों पर धनना हर नागरिक मूल कर्तव्य है। संविधान के मूल कर्तव्यों में उल्लेख है कि हर नागरिक देश की रक्षा करें गाप्ट सेवा करें भेदभाव दूर करें, स्विधायों के सम्मान के खिलाफ होने वाली हर प्रथा का त्याग करें। सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है, और संविधान यह भी कहता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानवता वाद भावना का विकास करना भी नागरिकों का मूल कर्तव्य है। हमें यह मानना होगा कि साप्रदायिकता का सहज होना, तभी संभव है जब मूल्य आधारित समाज व्यवस्था में हम विश्वास रखेंगे और सरकार उसके मुताबिक नीतियां बनाएंगी। अन्यथा वेहत नमात्र कभी नहीं बन पाएंगा। आज हम भारतवासियों को अभिमान है की भारतरत्न डा. वायासाहंव आवेदकर जो ने भारतीय संविधान जैसा एक महान ग्रंथ हमें दिया है और इस देश का सम्मान बढ़ाया। स्वतंत्रता और समानता पर आधारित भारतीय संविधान बनाया गया है। विशेषकर महिलाओं के लिए बनाए गये हैं। इस बात की जानकारी महिलाओं को अवश्य होनी चाहिए। महिला अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग और आत्मनिर्भर है, तो वह संविधान के कारण ही। इसका ज्ञान महिलाओं को होना जरूरी है। इसके साथ ही पिछडे वर्गों को आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं देने का अधिकार कंवल विधायक तथा राज्य सरकार को संविधान में प्रदान किया गया है। इन प्रकार संविधान में निहिन मूल्यों का पालन करना और उसके आदर्शों पर धनना इरानार्थ का मूल कर्तव्य है। इस सब मिनकर मानवीय विकास प्रक्रिया में सहयोग है। यह तभी संभव होगा जब हम मूल्य आधारित समाज व्यवस्था में विश्वास रखेंगे। संविधान हमारा गोप्य है, अभिमान है। जिन में संफ़ इनना ही कहाँसी संविधान ही इस देश को बढ़ाता है।

संविधान ही बुगां को डराता है,
संविधान सबको समान अधिकार देता है,
संविधान सबको समान प्यार देता है

हिंदी साहित्य एवं मानवीय मूल्य / 101



हिंदी मासिक

भारत

साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक
सरोकारों के लिए प्रतिवचन

ISSN 2321 - 9300

वर्ष : 10 अंक 108 दिसंबर 2022

सहयोग
50 रु.



Tuljaram Chaturchand College
Baranati
Principal

बयान

बयान

साहित्य, संस्कृति तथा सामाजिक सरोकारों
के लिए प्रतिबद्ध हिंदी मासिक

दिसम्बर 2022

संपादक
मोहनदास नेमिशराय

सहायक संपादक
न्पचन्द गौतम

संपादकीय सलाहकार
डॉ. जे.आर. सोनी/श्वेत्खर/साक्षी गौतम/
मतीश खुनगवाल

प्रादेशिक प्रतिनिधि
ब्रजेन्द्र गौतम, इलाहाबाद, डॉ. रामविलास
भारती, गोरखपुर, गोरख बनसोडे सुतारा,
बुद्धशरण हंस पटना, हरीश मंगलम
अहमदाबाद,

संपादकीय एवं व्यवस्थापकीय कार्यालय
वी.जी. ५ए/३०-बी, पश्चिम विहार, नई
दिल्ली, ११००६३
मोबाइल : ८८६००७४९२२

प्रकाशक मुद्रक व स्वामी मोहनदास
नेमिशराय द्वारा एम्सपे प्रिन्ट एंड मीडिया,
९७/१२, सुंदर पैलेस, ज्वला हेड़ी, पश्चिम
विहार, नई दिल्ली ११००६३ से मुद्रित

वी.जी. ५ए/३०-बी, पश्चिम विहार, नई
दिल्ली-११००६३ से प्रकाशित किया।

प्रकाशित रचनाओं के विचारों से संपादक
का सहमत होना जरूरी नहीं है।

बयान से संबन्धित सभी विवादस्पद मामले
दिल्ली न्यायालय के अधीन होंगे।

क्षमता परिकल्प से तुड़े सभी साक्षी अवैतनिक हैं।

अनुक्रम

संपादकीय

साहित्य/ संस्कृति/धर्म और गतिविहार की यात्रा	1
नारी अस्मिता और डी. बाबा साहेब अविडकर (डॉ. बाबा साहेब अविडकर महापर्गिनिर्वाण दिवस : विनष्ट अभिवादन) / डॉ. जलका नारायण याकरी	5
जातिवाद, पांखें और अंधविश्वास मुक्त भारत के लिए जरूरी है	
वैज्ञानिक दृष्टिकोण / प्रो. (डॉ.) के. पी. यादव	6
६ नवम्बर १९५१ को पटना के गांधी मैदान में	
बाबासाहेब आवेदकर का भाषण / डॉ. राजेन्द्र प्रसाद	7
बाबा साहेब महापर्गिनिर्वाण साहित्य के आइने में / डॉ. जी.सी. भारद्वाज	10
मा. भस्त्रिकार्जुन सुग्रे जी : सच्चा आवेदकरवादी कार्यकर्ता / प्रो. एच. टी. पोते	11
पश्चिम से आई प्रथम दो अवेदकरवादी महिलाओं—एलेनॉर जेलियट और गेल अंमवेंट को भावपूर्ण अद्वाजति / दिनेश आनन्द	14
डॉ. बाबा साहेब आवेदकर - महिला सशक्तिकरण / डॉ. प्रतिभा आनन्दराव जावडे	21
वर्तमान समय में वहुजन आन्दोलन में महिलाओं की स्थिति / रेखा भास्ती (एडवोकेट)	23
स्वर कोकिला लता मंगेशकर के सामाजिक और राजनीतिक सरोकार / प्रभोद तंत्रन	25
जनी के बाद आन्दोलन की स्थिति / पुष्पा विवेक	29
विहार में दलितों के प्रति पिछड़ा वर्ग के विरोध-अंतर्विरोध की एक पड़ताल / डॉ. मुसाफिर बैठा	32
आदिवासी संस्कृति और आन्दोलन के प्रहरी	
यदारु सोनवणे / प्रो. डॉ. गोरख निंदोवा बनसोडे	38
सुषमा असुर की कविताएं / डॉ. चांदणी लक्ष्मण पंचांगे	41
हिंदी साहित्य में चित्रित दलित आदिवासी विमर्श / डॉ. बाजीराव राजाराम ब्रेतार	43
गुजराती दलित साहित्य : उद्धव एवं विकास / हरीश मंगलम	45
“राजनीतिक परिवर्तन से पहले सामाजिक परिवर्तन आवश्यक है और सामाजिक परिवर्तन पहले व्यक्ति के खुद के परिवर्तन से शुरू होता है”/ दिनेश आनन्द	54
अच्छी फसल जब होती थी तभी भरपेट खाना मिलता था वरना भूखा ही सोया करता था / डॉ. जे.आर. सोनी	58
वरिष्ठ नेता विश्वनीत बोडो जी से मेरी एक बातचीत / अनुष प्रसाद	60
जाति : हमारे असन्तोष की उत्पत्ति / डॉ. बृजेन्द्र गौतम	61
हाँशिये के साहित्य का संग्रहणीय दस्तावेजी अंक / अहण नारायण	62
“हमने भी इतिहास बनाया” / रेखा भास्ती (एडवोकेट)	64
अपने कार्य से जवाब देना हमने सीखा	65
कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान / साक्षी गौतम परिवर्चन सामाजी और कविताएं	66



डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर - महिला सशक्तिकरण

डॉ. प्रतिभा आनंदराव जावळे

हिंदी विभाग, तुलजाराम चतुरचंद महाविद्यालय, बारामती, पुणे

भारतीय संविधान एक आदर्श संविधान है। संविधान निर्माता डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर ने भारत के हर नागरिकों को इंसान की तरह सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार प्रदान किया है। १९४६ में उन्हें संविधान मसोदा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्यायमंत्री थे। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक गणराज्य देश है, जिसे संविधान सभा द्वारा २६ नवंबर १९४९ को ग्रहण किया गया था। २६ जनवरी १९५० को पारित किया गया। भारतीय संविधान, यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का पर्यावरण - इसी किताब से भारतीय लोकतंत्र संचालित होता है। लोकतंत्र में प्रत्येक मनुष्य को जानन्दपूर्वक जीवनयापन करने की स्वतंत्रता है। "मनुष्य को कुछ अधिकार तो प्रकृति ने दे रखे हैं, एवं कुछ अधिकार देश के संविधान से मिले हुए हैं, जिनका उपयोग कर मनुष्य अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है, वही मानव अधिकार कहलाते हैं।" १। मनुष्य का विकास होता है तो समाज विकसित होगा और समाज का विकास ही देश को उन्नति के पथपर ले जाएगा। "मानव अधिकार मस्तिष्क की अभिवृद्धि है जो मानव और उसकी शक्तियों माझलों लौकिक आकांक्षाओं तथा उसकी भलाई को प्रायमिक महत्व प्रदान करती है।" २। भारतीय संविधान ने भारत के हर

नागरिकों को इंसान की तरह सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्रदान किया है। लेकिन आधी आवादी स्त्री और दलित इस अधिकार से वंचित हैं। इसके लिए शिक्षा को प्राधान्यता दी है। एक नारी शिक्षित हो

जाती है तो वो परिवार शिक्षित होते हैं। इसलिए नारी शिक्षा को प्राधान्यता दी है। शिक्षित स्त्री आज अपने स्वत्व को पहचान कर शोपकों के विरुद्ध आवाज उठाने लगी है। भारत में महिलाओं को संवेधानिक तथा कानूनी सुरक्षा प्रदान करने के लिए जनवरी १९६२ में गण्डीय महिला आयोग की स्थापना की गई। साथ ही ग्रामीण महिलाओं के कल्याण के लिए भी हर राज्य में महिला आयोग की शाखा का गठन किया गया। यह आयोग संवेधानिक संसद्या एवं महिलाओं के अधिकारों प्रति सजग है।

डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर सिर्फ दलितों के नेता नहीं थे। उनका कार्य सर्वव्यापक है। महिलाओं के लिए उनका योगदान अमूल्य है। उन्हें समानता का अधिकार दिलाने के लिए पूरी हिन्दू व्यवस्था से लंबी लड़ाई लड़ी, इन्हाँने महिलाओं को मनुवादी सोच से निकाला। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर कहते हैं "मैं किसी समाज की तरकी इस



वात से देखता हूं कि वहाँ महिलाओं ने कितनी तरकीमी की है।" हिन्दू कोड विल की मांग को महिलाएं कैसे भूल सकती हैं, जिसके विरोध के कारण बाबा साहेब मविपद को त्याग देते हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए अनेक प्रस्ताव रखे थे। इतना ही नहीं आर्टिकल 14 - 15 में महिलाओं को समाज में समान अधिकार देने का प्रस्ताव भी किया गया, साथ ही महिलाओं के शोषण के विरुद्ध संविधान में सख्त कानून बनाया, अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाई। डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर का कार्य संक्षिप्त शब्दों में नहीं लिखा जा सकता जैसे की हम सागर की गहराई को नाप नहीं सकते उसी प्रकार डॉ. बाबा साहेब आंबेडकर के कार्य को नापा नहीं जा सकता।

संदर्भ -

1. भारत में मानव अधिकार - डॉ. महेंद्र कुमार मिश्रा, पृष्ठ ।
2. वही, पृष्ठ ।

